	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख आदेशनामा जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 शिविर ग्राम पंचायत बलरिया में पेश हुई। प्रकरण में तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट पूर्व में निम्नानुसार पेश हो चुकी है–

1. **दिनांक 08.06.2017 की रिपोर्ट**:– ग्राम गरड़वास में वर्तमान जमाबंदी चौसाला के मुताबिक आराजी खसरा नंबर 780/0.12, 781/0.18, 849/0.06, 850/0.07, 851/0.01, 853/0.11, 854/0.04 व 858/0.05 किता 8 रकबा 0.64 है0 में रामराय, हरफूल, रामफूल, हरपाल, कंवरपाल पि0 भारमल की खातेदारी दर्ज है। उक्त सभी खसरा नंबरान साबिक खसरा नंबर 667/1559 रकबा 2 बिस्वा व 667/1560 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा से बने हैं। मुताबिक जमाबंदी चौसाला संवत् 2035–38 में मृतक भारमल की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 372 द्वारा रामराय, हरफूल, रामफूल, हरपाल, कंवरपाल, श्योफूल पि0 भारमल के नाम स्वीकार हुआ था, जिसका नोट अंकित है। इसके पश्चात् अगली जमाबंदी चौसाला में संवत् 2039–42 में रामराय, हरफूल, रामफूल, हरपाल, कंवरपाल पि0 भारमल के नामों का ही अमल उपरोक्त खसरा नंबरान की खातेदारी में हुआ। जबकि श्योफूल पुत्र भारमल का नाम छूट गया था। तत्पश्चात् पांच पुत्रों का ही नाम लगातार चला आ रहा है एवं श्योफूल पुत्र भारमल का नाम उक्त खातों में छूट गया है।
2. **दिनांक 19.06.2018 की रिपोर्ट**:– बिन्दुवार निम्नानुसार है–
   1. 1 लगायत 4 अपेक्षित नहीं है।
   5. यह है कि जमाबंदी चौसाला संवत् 2035–38 में मृतक भारमल की विरासत नामान्तरकरण संख्या 372 द्वारा रामराय, हरफूल, रामफूल, हरपाल, कंवरपाल, श्योफूल पि0 भारमल के नाम स्वीकार हुई थी, तत्समय जमाबंदी में उक्त नामान्तरकरण का अमल भी हो गया था, उसके बाद जमाबंदी 2039–42 में तहरीर करते समय श्योफूल पुत्र भारमल का नाम लिखने से रह गया था, वरवक्त सेटलमेंट जैरकार होने से खतौनी में भी श्योफूल का नाम दर्ज होने से रह गया था। वर्तमान जमाबंदी में भी श्योफूल का नाम नहीं है।
3. **दिनांक 19.06.2018 की रिपोर्ट**:–प्रकरण में पटवारी हल्का बलरिया व आईएलआर चौथ का बरवाड़ा के द्वारा दिनांक 08.06.2017 व दिनांक 19.06.2018 को जांच रिपोर्ट पेश की जा चुकी है, जो सही है। श्रीमान के न्यायालय के पत्रांक कोर्ट/2020/4223 दिनांक 01.12.2020 को नामान्तरकरण संख्या 372 की नकल चाही गई है, जो उपलब्ध नहीं है। श्योफूल पुत्र भारमल का नाम जमाबंदी में शामिल किया जाना उचित है।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं रिपोर्ट तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा का अवलोकन व मनन किया। तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा की उक्त रिपोर्टों के अनुसार जमाबंदी चौसाला संवत् 2035–38 में मृतक भारमल की विरासत नामान्तरकरण संख्या 372 द्वारा रामराय, हरफूल, रामफूल, हरपाल, कंवरपाल, श्योफूल पि0 भारमल के नाम स्वीकार हुई थी, तत्समय जमाबंदी में उक्त नामान्तरकरण का अमल भी हो गया था, उसके बाद जमाबंदी 2039–42 में तहरीर करते समय श्योफूल पुत्र भारमल का नाम लिखने से रह गया था, वरवक्त सेटलमेंट जैरकार होने से खतौनी में भी श्योफूल का नाम दर्ज होने से रह गया था। वर्तमान जमाबंदी में भी श्योफूल का नाम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम की तामील
	है कि नामान्तरकरण संख्या 372 उपलब्ध नहीं है। चूंकि प्रकरण में सेटलमेंट के पश्चात् की जमाबंदी एवं अन्य राजस्व रिकॉर्ड में नाम अंकित नहीं है। जिस कारण प्रकरण 136 एल0आर0 एक्ट की मंशा के अनुरूप नहीं है। अतः प्रकरण खारिज किया जाता है। अतः मैं प्रकरण को खारिज किया जाना उचित समझता हूं। अतः पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर खारिज की जाती है। प्रार्थी विधि द्वारा निर्धारित सुसंगत धारा के अन्तर्गत वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र होंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। शिविर प्रभारी एवं उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा	